combat terrorism and to safeguard, at all costs, the unity and the territorial integrity of the nation.

(c) Government have and will continue to apprise the international community of Pakistan's support to trans-border terrorism and the dangers inherent in pursuing such a policy.

Food Processing Industries in M.P., Bihar and Orissa

5625. SHRI DILIP SINGH JUDEV : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have identified areas for promotion of food processing industries in Madhya Pradesh, Bihar and Orissa;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have received investment proposals from foreign investors and non-resident Indians for these areas;

(d) if so, the details thereof; and

(e) Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI) : (a) to (e) Identification of specific areas for promotion of food processing industries is done generally by the States concerned and the Ministry extends financial assistance under its Plan Schemes for studies including identification of potentials. Such assistance has also been extended to Bihar and Orissa and no request from Madhya Pradesh has been received. However, under Plan schemes assistance is provided for development of infrastructural facilities for food processing industries in Madhya Pradesh, Bihar and Orissa. A letter of intent has been granted for manufacture of beer in Madhya Pradesh involving NRI investment. M/s. Cadbury India Limited has been allowed increase of foreign equity holding for upgrading their factories including one in Madhya Pradesh.

आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करना

5626. श्री अजीत जोगी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने और ऐसे क्षेत्रों में विपणन के विकास हेतु कोई योजना कार्यान्वित करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या-क्या हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी राज्य में स्वयं यूनिटों की स्थापना नहीं करता। परन्तु उदारीकरण से फरवरी, 1994 तक 2531 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से 1036 ज्ञापन पिछड़े क्षेत्रों में यूनिटों की स्थापना के लिए हैं। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न विकासात्मक योजना स्कीमें बनाई हैं जिनके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रसंस्कृत खाद्यों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक विज्ञापन द्वारा प्रसंस्कृत खाद्यों की मांग को बढ़ाने तथा राज्य/केन्द्र सरकार के संगठनों/संयुक्त क्षेत्र/निजी क्षेत्र की यूनिटों को छोटे या कुटीर स्तर के उत्पादकों से उनके उत्पाद खरीदकर अपने ब्रांड नाम से बेचने के वास्ते सहायता देने हेतु एक स्कीम बनाई गई है जिसके अन्तर्गत बाजार को बढ़ावा देने के लिए लागत के 50 प्रतिशत तक सहायता